

03- प्रारूप-तीन अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना का प्रमाणीकरण

प्रारूप-तीन

(नियम 3(2)(चार) देखिए)

प्रस्तावित फीस संरचना सत्र 20- 20

द्वारा :
आवेदक का नाम,
विद्यालय का पता पिनकोड सहित
टेलीफोन नंबर (कार्या.)
मेल आईडी :
डाईस कोड :

प्रति,
कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति,
जिला-----।

विषय : शैक्षणिक सत्र..... के लिए ----- विद्यालय हेतु प्रस्तावित फीस संरचना ।
श्रीमान/श्रीमती,

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के
अनुसार (न्यास/समिति/उपक्रम का नाम) द्वारा संचालित
विद्यालय की शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना, परिशिष्ट-I अनुसार संलग्न है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने संकल्प संख्या क्रमांक..... दिनांक
द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए उपर्युक्त फीस संरचना का निर्धारण किया गया है जिसे जिला
समिति की जानकारी हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. प्रक्रिया फीस रूपये का ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
4. विद्यालय प्रबंधन का प्रस्ताव है कि :-
(क) आगामी शैक्षणिक सत्र में विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।
अथवा
(ख) विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र..... की फीस प्रतिशत बढ़ाई जाए।
5. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और इस अधिनियम के
अधीन बनाये गये नियम, 2020 के सभी प्रावधानों को हमारे द्वारा पढ़ और समझ लिया गया है तथा जिसका पालन
करने के लिए विद्यालय प्रबंधन बाध्य है।
6. विद्यालय के संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी, अनुमानित बजट प्राक्कलन एवं अन्य जानकारी, अभिलेख और साक्ष्य
जो उक्त नियमों के अधीन आवश्यक है, पोर्टल पर दर्ज व अपलोड कर दिए गए हैं।
7. उक्त नियमों के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाला आवश्यक वचन पत्र परिशिष्ट -II अनुसार संलग्न है।

भवदीय

()
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संचालक/ प्रबंधक/ न्यासी
विद्यालय/ न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

नोट:-उपर्युक्त प्रारूप में आवश्यक जानकारी अंकित कर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित उपरांत निजी विद्यालय द्वारा
पोर्टल पर अपलोड की जाए।